समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

आदेश

इस कार्यालय के ज्ञापांक 151/शस्त्र, दिनांक 12-12-2013 के द्वारा श्री उपेन्द्र ना0 सिंह, पिता- श्री बिन्देश्वरी प्रसाद सिंह, सा0+पो0-अमरपुरा, थाना- मुरलीगंज, जिला-मधेपुरा को प्रदत्त अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं विहित प्रपत्र में डाटावेश समर्पित नहीं किए जाने के कारण दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 3212/69 (मुरलीगंज थाना) को शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (3) के तहत तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए कारण पृच्छा की गई थी।

श्री उपेन्द्र ना0 सिंह के पुत्र श्री संजय कुमार सिंह, पिता- स्व0 उपेन्द्र ना0सिंह ,सा0+पो0-अमरपुरा, थाना-मुरलीगंज, जिला- मधेपुरा द्वारा सूचित किया गया है कि उनके पिता- उपेन्द्र ना0 सिंह की मृत्यु दिनांक 03-08-2013 को हो चुकी है और शस्त्र दिनांक 01-10-2013 से बिहार गन हाउस, मधेपुरा में जमा है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के मृत्यु हो जाने के कारण शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (6) के तहत् उपेन्द्र ना0 सिंह को प्रदत्त दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति संख्या 3212/69 (मुरलीगंज थाना) को रद्द किया जाता है।

श्री संजय कुमार सिंह को आदेश दिया जाता है कि वे अपने स्व0 पिता उपेन्द्र ना0 सिंह को प्रदत्त दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 3212/69 (मुरलीगंज थाना) मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा जमा करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि अनुज्ञप्ति को रद्द करने की कार्रवाई की जा सके।

मे0 बिहार गन हाउस, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे स्व0 कृष्णा सागर दास का एक दो नाली बन्दूक ए0बी0 810/3843 जो रसीद संख्या 46, दिनांक 01-10-2013 से आपके प्रतिष्ठान में जमा की गई है, उसे पूर्ण रूपेण सुरक्षित रखेंगे। वगैर अनुमति के उक्त शस्त्र संबंधितों को हस्तगत नहीं करायेंगे।

प्रभारी पदाधिकारी, शस्त्र शाखा, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे अनुज्ञप्तिधारी उपेन्द्र ना0 सिंह के पुत्र श्री संजय कुमार सिंह द्वारा दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति संख्या 3212/69 (मुरलीगंज थाना) की मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा के उपरान्त शस्त्र पंजी में "रद्द" प्रविष्टि करवा कर अपना हस्ताक्षर पृष्टांकित करेंगे।

इस आदेश की सूचना संबंधितों को दी जाए।

ह0/-
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा

ज्ञापांक 46 /शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक 14.02.2014.

प्रतिलिपि : सभी जिला दण्डाधिकारी बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल दण्डाधिकारी, मधेपुरा /थानाध्यक्ष, मुरलीगंज/ मे0 बिहार गन हाउस, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस आदेश को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

प्रतिलिपि : श्री संजय कुमार सिंह, पिता- स्व0 उपेन्द्र ना0 सिंह ,सा0+पो0-अमरपुरा, थाना-मुरलीगंज, जिला- मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

14/02/14
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा